फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

गिर्राज बनाम जगन्या

किस्म मुकदमा : दावा मु0नं0 106/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
3.3.2019	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी से उक्त विवादित भूमि पक्षकारान की सह खातेदारी की भूमि होना साबित है। जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा है। वादीगण तकास्मा कराने का हकदार है। दावा वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा विवादित भूमि खसरा नंबर 217 रकबा 1.7100 है0, खसरा नंबर 217/306 रकबा 1.7100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.4200 है0 वाके रामा अम्बाडी तहसील सिकराय जिला दौसा का मुताबिक दर्ज हिस्सा जमाबन्दी व कब्जे के अनुसार तकास्मा करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते हैं। तहसीलदार सिकराय तकास्मा (बटवारा) कुरेजात तीन तीन प्रतियों मे तैयार कर इस न्यायालय मे दिनांक 18.3.2020 से पूर्व भिजवावें। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। 3/3/2020 (हरिराम कुमार आदित्य) उपखण्ड अधिकारी सिकराय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला-दौसा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2021.01.06 13:17:20 IST
Reason: SelfAttested